जवाहर लाल गुप्ता और एन. सी. खिची , न्यायमूर्तिगण, के समक्ष

बालबीर सिंह नेहरा,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 10899 सन 1998

25 अगस्त, 1998

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद 226-जनहित याचिका-लोकस स्टैंडी-यह नहीं दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहा है-इसमें शामिल सार्वजनिक धन की पर्याप्त राशि-याचिकाकर्ता ने केवल अदालत के ध्यान में लाया है कि प्रत्यर्थी संख्या *7* को *2* करोड़ *60* लाख रुपये का भुगतान किया गया था-लोकस स्टैंडी के आधार पर खारिज नहीं की जाने वाली याचिका।

अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले में यह प्रथम दृष्टया भी नहीं दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता के पास प्रतिवादीगण संख्या 6 से 8 के खिलाफ शिकायत का कोई व्यक्तिगत कारण है। समान रूप से, यह संकेत नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता का कोई व्यक्तिगत हित या सेवा करने का कारण है।उन्होंने केवल इस तथ्य को अदालत के ध्यान में लाया है कि प्रतिवादी संख्या 7 को 2 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, भले ही उसके पास बैंक में पर्याप्त धन नहीं था।इस स्थिति में याचिका को यथास्थिति के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 8)

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद 226-जांच को निष्पक्ष एजेंसी को हस्तांतरित करने की मांग करने वाला आदेश-भारी सार्वजनिक धन शामिल-राज्य मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों से संबंधित प्रतिवादी-राज्य को मामले के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है-निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का अनुरोध निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है।

अभिनिर्धारित किया कि जाहिर तौर पर याचिकाकर्ता का कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। हालाँकि, उन्होंने कुछ तथ्यों की ओर इशारा किया है जो समाज के लिए एक चिंता का कारण हैं। सार्वजनिक निधि-एक बड़ी राशि-शामिल है।राज्य को स्वयं मामले के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 7 हरियाणा राज्य के दो मंत्रियों से संबंधित है (भले ही उनकी ओर से दूर से आरोप लगाया गया हो), याचिकाकर्ता की ओर से किए गए अनुरोध को स्वीकार करना उचित और उचित प्रतीत होता है।यह जनता के विश्वास को बढ़ावा देगा और एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगा।

(पैरा 12)

आर. एस. टैकोरिया, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

एच. एस. हुड ए, महाधिवक्ता, हरियाणा के साथ सुरिंदर बिश्नोई, प्रतिवादी संख्या *1* से *3* के लिए अधिवक्ता।

विरेन्द्र मित्तल, प्रत्यर्थी सं. *4* के अधिवक्ता।

प्रताप सिंह, प्रतिवादी संख्या *5* के लिए अधिवक्ता।

मनोज डी. तनेजा, प्रतिवादी संख्या *6* से *8* के लिए अधिवक्ता।

आर. के. हांडा, प्रतिवादी संख्या *9* के लिए अधिवक्ता।

अशोक गुप्ता, भारतीय स्टेट बैंक के अधिवक्ता।

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, *न्यायमूर्ति (मौखिक)*

(1) पिटीशनर ने कहा कि प्रतिवादीगण संख्या 7 ने 2 करोड 60 लाख रुपये की राशि 2 मार्च, 1998 को भारतीय स्टेट बैंक से निकाली थी। 10 मार्च, 1998 को एक मामला दर्ज किया गया था।अभियुक्तों को 20 मार्च, 1998 को अग्रिम जमानत दी गई थी।पर्याप्त समय बीतने के बावजूद पुलिस ने उचित जांच नहीं की है।इस प्रकार, वह हरियाणा राज्य को एक आदेश पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना करता है कि दर्ज किए गए मामले की जांच-10 मार्च, 1998 की प्राथमिकी संख्या 129 के अनुसार, आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत सिटी कैथल के पुलिस स्टेशन में सी. बी. आई. को हस्तांतरित की जाए।

(2) विभिन्न प्रतिवादीगण की ओर से अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं।

(3) पक्षों के वकील को सुना गया है।

(4) याचिकाकर्ता के वकील श्री टैकोरिया ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 6 से 8 की बैंक के अधिकारियों के साथ मिलीभगत और उन्होंने एक बड़ी राशि 2 करोड़ 60 लाख रुपए भारतीय स्टेट बैंक से अवैध रूप से निकाले थे।पुलिस घोंघे की गति से आगे बढ़ी है।चूंकि सार्वजनिक धन शामिल है, इसलिए यह सभी संबंधित लोगों के हित में है कि मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा की जाए।विशेष रूप से, विद्वान वकील ने बताया है कि प्रतिवादी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 4 और 5 का संबंध है जो हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री हैं।अतः, वह प्रार्थना करता है कि जाँच स्थानांतरित की जाए।

(5) श्री आर एस हूडा, वकील!प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के लिए महाधिवक्ता ने शुरुआत में बहुत निष्पक्षता से कहा है कि राज्य सरकार को सी. बी. आई. को जांच हस्तांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 6 से 8 की ओर से पेश विद्वान वकील श्री मनोज तनेजा ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहले ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर की जा चुकी है, रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है।विद्वान वकीलों ने रामशरण औत्यानुप्रसी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[1], जसभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार, हाजी बशीर अहमद और अन्य[2] और एस. पी. आनंद बनाम एच. डी. देवगौड़ा और अन्य[3] में सर्वोच्च न्यायालय के अपने लॉर्डशिप के फैसलों का उल्लेख किया है।सी. बी. आई. की ओर से श्री आर. के. हांडा ने कहा है कि एजेंसी पर पहले से ही बोझ है और इस प्रकार, न्यायालय राज्य पुलिस द्वारा स्वयं मामले की जांच की जाने की वांछनीयता पर विचार कर सकता है।

(6) चूंकि मामला जांच के चरण में है, इसलिए हम विवाद के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।हालाँकि, यह विवादित नहीं है कि भारतीय स्टेट बैंक (कैथल शाखा) से 2 मार्च, 1998 को 2.6 करोड़ रुपये निकाले गए थे।इसके अलावा, यह भी स्वीकृत स्थिति है कि रुपये के लिए तीन चेक दिए जाते हैं। 90 लाख, रु। 90 लाख रु और 80 लाख रुपये भारतीय सेंट्रल बैंक से निकाले गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेंट किया गया।हालांकि, रुपये की राशि। उपरोक्त तीन चेकों को भुनाए बिना या यह सत्यापित किए बिना कि 'प्राप्तकर्ता' के पास सेंट्रल बैंक ऑफ

---

1 ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 549

2 ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 578

3 जे टी 1996 (10) एस सी 274

इंडिया में धन था या नहीं, सातवें प्रतिवादी को 2.6 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।यह भी विवादित नहीं है कि पैसा 2 मार्च, 1998 को ही जारी किया गया था जब उपरोक्त तीन चेक प्रस्तुत किए गए थे।इसके अलावा, यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 4 और 5 से संबंधित है जो राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री है।यह केवल सुझाव दिया गया है कि संबंध बहुत दूर का है।भले ही ऐसा हो, रिश्ते का तथ्य विवाद में नहीं है।इस स्थिति में, यह जनहित में प्रतीत होता है कि मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा की जाती है।

(7) श्री तनेजा का तर्क है कि याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

(8) हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।यह निस्संदेह सही है कि अदालत किसी याचिका पर विचार करने से इनकार कर सकती है जब इसे किसी व्यक्ति द्वारा बाहरी विचारों या व्यक्तिगत लाभ के कारण दायर किया जाता है।यह भी उतना ही सही है कि अदालत 'हस्तक्षेप करने वाले हस्तक्षेपकर्ता' के कहने पर हस्तक्षेप नहीं करती है।' हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह प्रथम दृष्टया भी नहीं दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता के पास प्रतिवादी संख्या 6 से 8 के खिलाफ शिकायत का कोई व्यक्तिगत कारण है।समान रूप से, यह संकेत नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता का कोई व्यक्तिगत हित या सेवा करने का कारण है।उन्होंने केवल इस तथ्य को अदालत के ध्यान में लाया है कि प्रतिवादी संख्या 7 को 2 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, भले ही उसके पास बैंक में पर्याप्त धन नहीं था।इस स्थिति में याचिका को लोकस के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

(9) श्री तनेजा ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपतियों के फैसलों का भी उल्लेख किया है।जसभाई देसाई (ऊपर) के मामले में, यह निस्संदेह सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा कहा गया था कि "याचिकाकर्ता को एक पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए"।यह सिनेमा हाउस की स्थापना के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने के संदर्भ में था।इस दृष्टिकोण पर बाद में एस. पी. गुप्ता और अन्य बनाम भारत के राष्ट्रपति और अन्य[4] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य द्वारा विचार किया गया, जिसमें लोकस स्टैंडी की अवधारणा को पर्याप्त रूप से विस्तारित किया गया था।उनके अधिपतियों को यह देखकर खुशी हुई कि लोकस स्टैंडी के संबंध में पारंपरिक नियम प्राचीन काल का है और यह एक ऐसे युग के दौरान उत्पन्न हुआ जब निजी कानून कानूनी परिदृश्य पर हावी था और सार्वजनिक कानून का अभी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रक्रिया न्याय की एक दासी है और न्याय के कारण को कभी भी किसी भी प्रक्रियात्मक तकनीकीता से विफल नहीं होने दिया जा सकता है।इसलिए न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के और विवेक की थोड़ी सी भी झिझक के अपने वितरण के अभ्यास में प्रक्रिया के तकनीकी नियमों को दरकिनार कर देगा। उनके अधिपतियों को यह देखकर खुशी होती थी कि जब कोई व्यक्ति अदालत का रुख करता है, तो वह "न्याय के कारण को सही साबित करने की दृष्टि से ईमानदारी से काम कर रहा होगा और यदि वह व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ के लिए या राजनीतिक प्रेरणा या अन्य अप्रत्यक्ष विचार से काम कर रहा है, तो न्यायालय को ऐसे व्यक्ति के कहने पर खुद को सक्रिय नहीं होने देना चाहिए" वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है।यह नहीं दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहा है।

(10) एस. पी. गुप्ता के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा लिए गए विचार को दोहराया गया है।एस. पी. आनंद के मामले (ऊपर) में, एस. पी. गुप्ता के मामले में निर्णय से कोई विचलन नहीं था।न्यायालय द्वारा दी गई एकमात्र चेतावनी यह थी कि सार्वजनिक कारणों का समर्थन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को "आकस्मिक भावनाओं के आगे नहीं झुकना चाहिए"।यहां तक कि अदालतों को भी जनहित में याचिकाओं पर विचार करते समय उचित सावधानी बरतने की

---

4 ए. आई. आर., 1982 एस. सी. 149

आवश्यकता थी।

(11) विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपतियों द्वारा प्रतिपादित नियम के साथ कोई विवाद नहीं है।हालांकि, एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता को का कोई हित नहीं है?

(12) जाहिर है, उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।हालाँकि, उन्होंने कुछ तथ्यों की ओर इशारा किया है जो समाज के लिए चिंता का विषय हैं।सार्वजनिक निधि-एक बड़ी राशि-शामिल है।राज्य को स्वयं मामले के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 7 हरियाणा राज्य के दो मंत्रियों से संबंधित है (भले ही उनकी ओर से दूर से आरोप लगाया गया हो), याचिकाकर्ता की ओर से किए गए अनुरोध को स्वीकार करना उचित और उचित प्रतीत होता है।यह जनता के विश्वास को बढ़ावा देगा और एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगा।

(13) श्री तनेजा ने बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर कर चुका है।इस आवेदन की एक प्रति इस मामले के अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी।हालांकि, इसे सुनवाई के दौरान पेश किया गया है।हमने इस आवेदन का अध्ययन किया है।भारतीय स्टेट बैंक ने एक प्रार्थना के साथ एक याचिका दायर की है कि "आई. पी. जी. की धारा 420/120 बी के तहत पुलिस स्टेशन, सिटी कैथल में दर्ज प्राथमिकी संख्या 129 की जांच प्रतिवादी संख्या 2-सी. बी. आई. को सौंप दी जाए।"इस प्रकार, बैंक ने भी वर्तमान याचिकाकर्ता के समान प्रभाव के लिए प्रार्थना की है।केवल इसलिए कि बैंक द्वारा एक याचिका दायर की गई है, यह नहीं कहा जा सकता है कि रिट याचिका अक्षम है।इसके अलावा, बैंक ने एक आवेदन भी किया था। इस रिट याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल किए जाने के लिए।इस आवेदन को पीठ ने 24 अगस्त, 1998 के अपने आदेश के माध्यम से मंजूरी दी थी।बैंक भी हमारे सामने है। आवेदन में की गई प्रार्थना को इस मामले की सुनवाई के दौरान बैंक के वकील ने दोहराया है।इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक संयुक्त रूप से अदालत से मामले की जांच को एक निष्पक्ष एजेंसी को स्थानांतरित करने का अनुरोध कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, हम दोनों कार्यवाहियों के बीच कोई टकराव नहीं पाते हैं।इस प्रकार, 1998 की आपराधिक विविध संख्या 10543-एम की लंबितता जो बैंक द्वारा दायर की गई थी, वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए एक बाधा के रूप में काम नहीं करती है।यदि बिल्कुल भी हो, तो इसने केवल प्रतिवादी संख्या 6 से 8 को अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर दिया है।ऐसा इसलिए है क्योंकि पक्षों के विद्वान वकील ने हमारे सामने कहा है कि मेसर्स केवल कृष्ण, संजीव कुमार और नरेंद्र चंदर, जो वर्तमान याचिका में प्रतिवादी संख्या 6 से 8 हैं, अब भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर याचिका में पक्षकार नहीं हैं।

(14) यह सच है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो पर अब तक बोझ बढ़ सकता है।हालाँकि, वर्तमान एक ऐसा मामला है जो इसके बोझ के लिए एक उपयोगी अतिरिक्त होगा।

(15) परिणामस्वरूप, हम याचिका को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि आई. पी. सी. की धारा 420/120 बी के तहत कैथल शहर के पुलिस स्टेशन में 10 मार्च, 1998 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 129 के माध्यम से दर्ज मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी जाएगी।इन परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जे एस टी।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक*

और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा